भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1044

मंगलवार, 13 दिसम्बर, 2022 (22 अग्रहायण, 1944 (शक)) को उत्तर के लिए

साइबर अपराध और धोखाधड़ी

†1044. डॉ. निशिकांत दूबे:
श्री जुएल ओरामः
श्रीमति अपरूपा पोद्दारः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में साइबर-अपराधों/धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों की जानकारी है और यदि हां, तो पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष रिपोर्ट किए गए ऐसे मामलों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है और जांच और न्यायालय में विचाराधीन मामलों के क्या परिणाम रहे;

(ख) क्या सरकार ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल की स्थापना की है और राष्ट्रीय सूचना सुरक्षा नीति और दिशानिर्देश भी जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन उपायों के माध्यम से साइबर अपराधों की रोकथाम और पता लगाने में कितनी सफलता हासिल हुई;

(ग) सरकार द्वारा इन उपलब्ध तंत्रों के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या विशेषरूप से साइबर अपराधों से निपटने के लिए समर्पित पुलिस थानों/यूनिटों की स्थापना की गई है/ स्थापना की जानी प्रस्तावित है और यदि हां, तो ऐसे पुलिस स्टेशनों/युनिटों का ब्यौरा क्या है और इनमें तैनात पुलिसकर्मियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय कुमार मिश्रा)

(क): साइबर स्पेस के उपयोग में वृद्धि होने के कारण, धोखाधड़ियों सहित साइबर अपराधों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी)अपराधों से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़ों को अपने प्रकाशन 'क्राइम-इन-इंडिया' में संकलित और प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2021 की है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2017 से 2021 के दौरान साइबर अपराध (माध्यम/लक्ष्य के रूप में संचार उपकरणों समेत) के तहत दर्ज किए गए मामलों का राज्य /संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है।

(ख) से (ग): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से साइबर अपराध समेत अपराधों की रोकथाम करने, उनका पता लगाने, जाँच करने और अभियोजन चलाने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं। विधि प्रवर्तन एजेंसियां, साइबर अपराध में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध कानून के प्रावधानों के अनुसार विधिक कार्यवाही करती हैं। केंद्र सरकार, एडवाइजरी और विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी क्षमता संवर्धन के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है।

केंद्र सरकार ने साइबर अपराधों से एक व्यापक और समन्वित ढंग से निपटने हेतु तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए उपाय किए हैं, जिनमें साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, चेतावनी/ एडवाइजरी जारी करना, विधि प्रवर्तन कार्मिकों/ अभियोजकों/ न्यायिक अधिकारियों का क्षमता निर्माण/ प्रशिक्षण और साइबर फॉरेंसिक सुविधाओं को बेहतर बनाना आदि शामिल हैं। सरकार ने विधि प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक फ्रेमवर्क और ईको-सिस्टम उपलब्ध कराने हेतु 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र' (आई4सी) का गठन किया है, ताकि साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित तरीके से निपटा जा सके।

<u>लोक सभा अता. प्र. सं. 1044 दिनांक 13.12.2022</u>

सभी प्रकार के साइबर अपराधों की सहज रिपोर्टिंग 'राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल' (www.cybercrime.gov.in) से की जा सकती है। इस पोर्टल पर दर्ज की गई साइबर अपराध की घटनाओं की सूचना, कानून के प्रावधानों के अनुसार आगे कार्यवाही करने के लिए स्वतः ही संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधि प्रवर्तन एजेंसियों को पहुँच जाती है। रखे गए आंकड़ों के अनुसार, दिनांक 01.01.2020 से 07.12.2022 तक 16 लाख से अधिक साइबर अपराध की घटनाएं दर्ज की गई और 32,000 से अधिक एफआईआर पंजीकृत की गई हैं। वित्तीय धोखाधड़ियों की तत्काल सूचना देने और धोखाधड़ी करने वालों के द्वारा निधियों की चोरी को रोकने के लिए 'नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली' भी शुरू की गई है। अब तक, 180 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय धोखाधड़ी के लेनदेनों को बचाया जा चुका है। साइबर शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने में सहायता प्राप्त करने के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नम्बर '1930' शुरू किया गया है।

आईसीटी बुनियादी ढांचे में सूचना सुरक्षा उल्लंघनों/साइबर घुसपैठ को रोकने के लिए राष्ट्रीय सूचना सुरक्षा नीति और दिशानिर्देश (एनआईएसपीजी), 2019 जारी किए गए हैं। एनआईएसपीजी को केंद्रीय मंत्रालयों के साथ-साथ राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया है। उन्हें सूचना सुरक्षा को मजबूत करने और सूचना सुरक्षा उल्लंघनों को रोकने के लिए एनआईएसपीजी के अनुसार सूचना सुरक्षा नियंत्रण को मजबूत करने के लिए उचित कदम उठाने की सलाह दी गई है।

केंद्र सरकार ने साइबर अपराध के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ एसएमएस भेजना, आई4सी सोशल मीडिया अकाउंट जैसे कि ट्विटर हैंडल (@Cyberdost), फेसबुक (CyberDostI4C), इंस्टाग्राम (cyberdosti4c), टेलीग्राम

(cyberdosti4c), रेडियो कैंपेन के माध्यम से संदेश प्रसारित करना, माईगव को कई माध्यमों से प्रचार हेतु उपयोग करना, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से साइबर सुरक्षा एवं संरक्षा जागरूकता सप्ताह का आयोजन करना, किशोरों/ छात्रों के लिए हैंडबुक का प्रकाशन करना आदि शामिल हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रचार द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाने के लिए अनुरोध किया गया है।

(घ): पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन से संबंधित सांख्यिकी आंकड़ों को अपने प्रकाशन "पुलिस संगठनों के आंकड़े" में संकलित और प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2021 की है। बीपीआरएंडडी द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के मुताबिक, दिनांक 01.01.2021 की स्थितिनुसार साइबर क्राइम पुलिस स्टेशनों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक-II में दिया गया है। आवश्यकता के अनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पुलिस स्टेशन स्थापित करते हैं और वहाँ जनशक्ति की तैनाती करते हैं।

*****

अनुलग्नक-I (पृष्ठ 3 का 1)

लोक सभा अता.प्र.सं. 1044 दिनांक 13.12.2022

वर्ष 2017-2018 के दौरान कुल साइबर अपराधों के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार दर्ज किए गए मामले (सीआर), आरोपपत्रित मामले (सीसीएस), दोषसिद्ध मामले (सीओएन),निपटाए गए मामले (सीडीआईस), दोष मुक्त मामले (सीएक्यू), गिरफ्तार किए गए व्यक्ति (पीएआर), आरोपपत्रित व्यक्ति (पीसीएस), दोषसिद्ध व्यक्ति(पीसीवी),बरी किए गए व्यक्ति (पीडीआईस)और दोष मुक्त व्यक्ति (पीएक्यू)

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2017										2018									
		सीआर	सीसीएस	सीओएन	सीडीआईस	सीएक्यू	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	पीडीआईस	पीएक्यू	सीआर	सीसीएस	सीओएन	सीडीआईस	सीएक्यू	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	पीडीआईस	पीएक्यू
1	आंध्र प्रदेश	931	198	4	0	70	388	269	5	4	102	1207	243	10	9	33	522	412	14	10	59
2	अरुणाचल प्रदेश	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	असम	1120	179	0	0	1	1261	726	0	0	1	2022	201	3	1	38	1730	224	3	2	38
4	बिहार	433	251	2	0	19	884	265	3	0	20	374	229	0	0	0	357	330	0	0	0
5	छत्तीसगढ़	171	78	9	4	8	128	127	9	4	18	139	78	3	0	13	118	109	3	0	16
6	गोवा	13	4	0	1	0	1	6	0	2	0	29	2	1	0	1	3	3	1	0	1
7	गुजरात	458	190	0	0	2	472	437	0	0	2	702	334	0	0	2	786	647	0	0	2
8	हरियाणा	504	130	11	0	77	211	197	12	0	168	418	184	5	0	34	260	252	5	0	48
9	हिमाचल प्रदेश	56	15	2	0	14	34	17	2	0	19	69	25	0	0	2	19	27	0	0	3
10	झारखंड	720	115	3	2	4	368	155	3	2	4	930	186	34	0	15	450	362	38	0	19
11	कर्नाटक	3174	130	0	0	39	294	163	0	0	60	5839	139	1	0	43	378	198	1	0	76
12	केरल	320	144	8	0	43	240	159	9	0	47	340	203	8	3	31	298	256	12	3	31
13	मध्य प्रदेश	490	349	7	2	7	544	548	9	2	10	740	575	19	3	54	735	808	25	4	76
14	महाराष्ट्र	3604	720	11	0	48	1716	1196	10	3	63	3511	1052	10	1	50	2118	1449	22	1	64
15	मणिपुर	74	0	0	0	0	25	0	0	0	0	29	0	0	0	0	8	0	0	0	0
16	मेघालय	39	1	0	0	1	8	1	0	0	1	74	0	0	0	0	12	0	0	0	0
17	मिजोरम	10	7	2	0	1	10	7	2	0	1	6	2	0	0	0	3	2	0	0	0
18	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	2	1	0	0	0
19	ओडिशा	824	143	1	0	4	200	200	1	0	4	843	219	0	0	2	254	284	0	0	3
20	पंजाब	176	60	2	2	21	223	111	2	2	27	239	80	5	1	19	258	118	7	1	27
21	राजस्थान	1304	184	5	7	11	374	357	5	7	20	1104	232	2	1	8	418	411	3	1	10
22	सिक्किम	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0
23	तमिलनाडु	228	70	0	0	9	208	99	0	0	12	295	131	11	1	24	326	185	11	1	47
24	तेलंगाना	1209	266	1	0	64	808	428	1	0	92	1205	480	0	0	29	699	601	0	0	53
25	त्रिपुरा	7	1	0	0	1	3	1	0	0	1	20	0	0	0	0	4	0	0	0	0
26	उत्तर प्रदेश	4971	1700	79	2	42	2726	2576	83	2	63	6280	2325	373	7	89	3437	3238	445	7	117
27	उत्तराखण्ड	124	47	1	0	1	55	58	2	0	2	171	55	2	0	2	92	75	3	0	6
28	पश्चिम बंगाल	568	133	1	0	3	266	99	1	0	4	335	186	3	0	8	159	198	3	0	8
	कुल राज्य	**21530**	**5115**	**149**	**20**	**490**	**11447**	**8202**	**159**	**28**	**741**	**26931**	**7163**	**490**	**27**	**498**	**13447**	**10191**	**596**	**30**	**704**
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	3	2	0	0	1	1	2	0	0	1	7	9	0	0	0	2	13	0	0	0
30	चंडीगढ़	32	13	1	0	5	30	20	1	0	5	30	13	3	0	7	13	13	3	0	7
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव +	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	दिल्ली	162	38	2	2	0	105	69	2	2	0	189	32	2	9	1	83	49	2	9	2
33	जम्मू और कश्मीर*	63	11	0	0	4	17	12	0	0	4	73	14	0	0	6	19	19	0	0	12
34	लद्दाख	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	2	0	0	0	0
36	पुदुचेरी	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	3	0	0	1	3	3	0	0	3
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	**266**	**65**	**3**	**2**	**10**	**154**	**104**	**3**	**2**	**10**	**317**	**71**	**5**	**9**	**15**	**122**	**97**	**5**	**9**	**24**
	कुल (अखिल भारत)	**21796**	**5180**	**152**	**22**	**500**	**11601**	**8306**	**162**	**30**	**751**	**27248**	**7234**	**495**	**36**	**513**	**13569**	**10288**	**601**	**39**	**728**

स्रोत:भारत में अपराध. नोट: '+' 2017-18 के दौरान पूर्ववर्ती दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र तथा दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र के संयुक्त आंकड़े, *' 2017-18 के दौरान लद्दाख सहित पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य के आंकड़े.

लोक सभा अता. प्र. सं. 1044 दिनांक 13.12.2022

वर्ष 2019-2020 के दौरान कुल साइबर अपराधों के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार दर्ज किए गए मामले (सीआर), आरोपपत्रित मामले (सीसीएस), दोषसिद्ध मामले (सीओएन),निपटाए गए मामले (सीडीआईस), दोष मुक्त मामले (सीएक्यू), गिरफ्तार किए गए व्यक्ति (पीएआर), आरोपपत्रित व्यक्ति (पीसीएस), दोषसिद्ध व्यक्ति(पीसीवी), बरी किए गए व्यक्ति (पीडीआईस)और दोष मुक्त व्यक्ति (पीएक्यू)

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019										2020									
		सीआर	सीसीएस	सीओएन	सीडीआईस	सीएक्यू	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	पीडीआईस	पीएक्यू	सीआर	सीसीएस	सीओएन	सीडीआईस	सीएक्यू	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	पीडीआईस	पीएक्यू
1	आंध्र प्रदेश	1886	235	3	0	53	452	344	5	0	68	1899	314	6	10	88	475	446	9	10	123
2	अरुणाचल प्रदेश	8	0	0	0	0	1	0	0	0	0	30	1	0	0	0	12	1	0	0	0
3	असम	2231	349	13	0	53	1636	733	13	0	53	3530	385	0	0	41	1717	395	0	0	80
4	बिहार	1050	288	4	0	46	1014	519	17	0	46	1512	651	0	0	0	751	727	0	0	0
5	छत्तीसगढ़	175	94	13	0	23	139	136	19	0	27	297	152	3	0	7	209	188	3	0	7
6	गोवा	15	20	0	0	1	3	25	0	0	1	40	6	0	0	1	15	15	0	0	1
7	गुजरात	784	447	0	0	8	1083	1064	0	0	11	1283	475	0	0	4	942	906	0	0	4
8	हरियाणा	564	188	6	0	40	314	288	10	0	63	656	221	0	0	9	347	323	0	0	21
9	हिमाचल प्रदेश	76	20	2	0	4	44	24	2	0	4	98	31	0	0	1	46	39	0	0	1
10	झारखंड	1095	344	19	0	16	402	568	19	0	16	1204	462	125	2	44	820	791	131	7	45
11	कर्नाटक	12020	111	9	0	26	446	183	10	0	31	10741	2842	2	0	19	489	2916	2	0	25
12	केरल	307	176	2	0	33	220	214	2	0	46	426	161	0	0	7	299	179	0	0	7
13	मध्य प्रदेश	602	405	18	4	13	659	531	24	5	18	699	445	14	7	28	692	598	15	7	28
14	महाराष्ट्र	4967	980	7	2	45	1739	1470	9	2	60	5496	902	3	1	33	1735	1238	3	1	48
15	मणिपुर	4	0	0	0	0	8	0	0	0	0	79	0	0	0	0	17	0	0	0	0
16	मेघालय	89	2	0	0	0	3	3	0	0	0	142	1	0	0	0	9	7	0	0	0
17	मिजोरम	8	4	0	0	0	5	5	0	0	0	13	8	2	0	0	4	8	2	0	0
18	नागालैंड	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	ओडिशा	1485	220	0	0	0	316	351	0	0	0	1931	282	0	0	1	369	396	0	0	1
20	पंजाब	243	90	5	3	26	259	118	9	4	35	378	106	1	0	5	298	162	1	0	8
21	राजस्थान	1762	312	35	14	9	571	556	41	23	11	1354	340	24	5	21	541	520	32	11	27
22	सिक्किम	2	1	0	1	0	3	2	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
23	तमिलनाडु	385	113	8	1	9	400	161	10	1	12	782	135	7	7	25	516	237	9	8	28
24	तेलंगाना	2691	847	10	0	128	748	1564	11	0	179	5024	939	280	0	56	1169	1158	282	0	81
25	त्रिपुरा	20	4	0	0	0	1	5	0	0	0	34	5	0	0	0	6	5	0	0	0
26	उत्तर प्रदेश	11416	3705	201	30	46	4324	5258	272	45	66	11097	4987	642	36	47	6491	6427	878	47	55
27	उत्तराखण्ड	100	40	1	0	0	71	72	1	0	0	243	58	0	1	0	93	80	0	1	0
28	पश्चिम बंगाल	524	104	4	0	26	215	124	4	0	27	712	178	0	0	6	203	313	0	0	6
	कुल राज्य	**44511**	**9099**	**360**	**55**	**605**	**15076**	**14318**	**478**	**82**	**774**	**49708**	**14087**	**1109**	**69**	**444**	**18265**	**18075**	**1367**	**92**	**597**
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	5	5	0	0	0	3	5	0	0	0
30	चंडीगढ़	23	9	5	0	7	14	14	6	0	10	17	3	1	0	2	4	3	2	0	2
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव +	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	1	1	0	0	0
32	दिल्ली	115	58	2	1	11	147	80	2	1	12	168	61	0	0	0	107	77	0	0	0
33	जम्मू और कश्मीर*	73	18	0	0	4	22	22	0	0	6	120	14	0	0	1	33	23	0	0	1
34	लद्दाख	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0
36	पुदुचेरी	4	3	0	0	0	8	8	0	0	0	10	5	0	0	0	5	5	0	0	0
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	**224**	**88**	**7**	**2**	**22**	**192**	**124**	**8**	**2**	**28**	**327**	**89**	**1**	**0**	**3**	**155**	**114**	**2**	**0**	**3**
	कुल (अखिल भारत)	**44735**	**9187**	**367**	**57**	**627**	**15268**	**14442**	**486**	**84**	**802**	**50035**	**14176**	**1110**	**69**	**447**	**18420**	**18189**	**1369**	**92**	**600**

स्रोत:भारत में अपराध. नोट: '+' 2019-20 के दौरान पूर्ववर्ती दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र तथा दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र के संयुक्त आंकड़े, *' 2019-20 के दौरान लद्दाख सहित पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य के आंकड़े.

वर्ष 2021 के दौरान कुल साइबर अपराधों के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार दर्ज किए गए मामले (सीआर), आरोपपत्रित मामले (सीसीएस), दोषसिद्ध मामले (सीओएन),निपटाए गए मामले (सीडीआईस), दोष मुक्त मामले (सीएक्यू), गिरफ्तार किए गए व्यक्ति (पीएआर), आरोपपत्रित व्यक्ति (पीसीएस), दोषसिद्ध व्यक्ति(पीसीवी), बरी किए गए व्यक्ति (पीडीआईस)और दोष मुक्त व्यक्ति (पीएक्यू)

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021									
		सीआर	सीसीएस	सीओएन	सीडीआईस	सीएक्यू	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	पीडीआईस	पीएक्यू
1	आंध्र प्रदेश	1875	374	8	0	49	363	515	8	0	53
2	अरुणाचल प्रदेश	47	3	0	0	0	5	3	0	0	0
3	असम	4846	579	2	2	88	6096	931	2	2	149
4	बिहार	1413	424	2	0	1	980	520	2	0	1
5	छत्तीसगढ़	352	200	0	0	1	260	245	0	0	4
6	गोवा	36	18	0	0	2	42	22	0	0	2
7	गुजरात	1536	715	0	1	15	1395	1394	0	1	15
8	हरियाणा	622	326	3	0	37	647	601	4	0	61
9	हिमाचल प्रदेश	70	63	1	0	1	68	77	1	0	1
10	झारखंड	953	400	25	0	30	1414	1215	45	0	30
11	कर्नाटक	8136	5801	10	0	68	615	5967	12	0	83
12	केरल	626	287	2	22	14	447	345	2	40	14
13	मध्य प्रदेश	589	487	50	14	75	803	802	119	23	101
14	महाराष्ट्र	5562	1428	23	8	48	2475	1914	60	8	50
15	मणिपुर	67	2	0	0	0	31	2	0	0	0
16	मेघालय	107	6	0	0	1	2	8	0	0	1
17	मिजोरम	30	20	3	0	0	31	21	3	0	0
18	नागालैंड	8	0	0	0	0	1	0	0	0	0
19	ओडिशा	2037	313	0	0	2	363	412	0	0	2
20	पंजाब	551	188	4	0	12	416	247	4	0	35
21	राजस्थान	1504	502	23	21	25	861	864	40	22	33
22	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	तमिलनाडु	1076	147	6	0	30	612	198	8	0	36
24	तेलंगाना	10303	1361	19	0	24	1478	2179	21	0	31
25	त्रिपुरा	24	10	0	0	0	8	10	0	0	0
26	उत्तर प्रदेश	8829	4407	292	17	42	6887	6006	387	17	62
27	उत्तराखण्ड	718	158	0	0	0	207	266	0	0	0
28	पश्चिम बंगाल	513	307	17	1	6	246	336	17	1	6
	कुल राज्य	**52430**	**18526**	**490**	**86**	**571**	**26753**	**25100**	**735**	**114**	**770**
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	8	3	0	0	0	12	4	0	0	0
30	चंडीगढ़	15	6	0	1	3	9	7	0	1	3
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव +	5	2	0	0	0	4	4	0	0	0
32	दिल्ली	356	157	1	0	0	494	336	1	0	0
33	जम्मू और कश्मीर*	154	49	0	0	3	102	60	0	0	5
34	लद्दाख	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
36	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	**544**	**218**	**1**	**1**	**6**	**621**	**412**	**1**	**1**	**8**
	कुल (अखिल भारत)	**52974**	**18744**	**491**	**87**	**577**	**27374**	**25512**	**736**	**115**	**778**

स्रोत:भारत में अपराध.

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या-1044 (दिनांक 13.12.2022)

अनुलग्नक-II

साइबर अपराध पुलिस थानों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	साइबर अपराध पुलिस स्टेशन की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	3
2	अरुणाचल प्रदेश	0
3	असम	0
4	बिहार	0
5	छतीसगढ़	1
6	गोवा	1
7	गुजरात	14
8	हरियाणा	3
9	हिमाचल प्रदेश	1
10	झारखंड	7
11	कर्नाटक	11
12	केरल	19
13	मध्य प्रदेश	1
14	महाराष्ट्र	43
15	मणिपुर	1
16	मेघालय	1
17	मिजोरम	1
18	नागालैंड	1
19	ओडिशा	4
20	पंजाब	2
21	राजस्थान	2
22	सिक्किम	0
23	तमिलनाडु	46
24	तेलंगाना	3
25	त्रिपुरा	0
26	उत्तर प्रदेश	2
27	उत्तराखंड	1
28	पश्चिम बंगाल	31
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0
30	चंडीगढ़	0
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0
32	दिल्ली	0
33	जम्मू और कश्मीर	2
34	लद्दाख	0
35	लक्षद्वीप	0
36	पुदुचेरी	1
	कुल	202

स्रोत: बीपीआर एंड डी प्रकाशन "पुलिस संगठनों के आंकड़े", 2021